सुरेश वगैरह बनाम रूकमणी देवी वगैरह
मुकदमा नम्बर 141/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :–

1. सुरेश पुत्र रामेश्वर लाल
2. प्रभूदयाल पुत्र रामेश्वर लाल
3. अशोक कुमार पुत्र रामेश्वर लाल
   जाति नाई निवासीयान ग्राम नावां तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. श्रीमति रूकमणी देवी धर्म पत्नि रामदेव लढ़ा महेश्वरी रामगली सदर बाजार नांवां।
2. राजस्थान सरकारी जरिये तहसीलदार भूमिधारी नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :– भू–प्रबंध के इन्द्राज में संशोधन
अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

उपस्थित :– श्री हनुमानाराम अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री रोहित कुमार पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय दिनांक :– 30.01.2024

मुकदमा नम्बर :– 141/2022

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि कस्बा नावां तहसील नावं की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 477 रकबा 47 बीघा 5 बीस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 219 रकबा 6.64 हैक्टर बने है। उक्त भूमि प्रार्थीगणों की संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है। उक्त भूमि भू–प्रबंध से क्रियाएं के पूर्व में 47 बीघा 5 बीस्वा भूमि थी। भू–प्रबंध से क्रियाओं के दौरान उक्त भूमि का रकबा 7.65 हैक्टर की जगह 6.64 हैक्टर दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीगण का कब्जा काश्त उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 477 वर्तमान खसरा नम्बर 219 रकबा 47 बीघा 5 बीस्वा यानि 7.65 हैक्टर भूमि पर निर्विवाद रूप से कब्जा चला आ रहा है। हाल भू–प्रबंध द्वारा 1.01 हैक्टर भूमि का रकबा कम दर्ज किया है। भू–प्रबंध विभाग को रकबा कम करने का कोई अधिकार कानूनन नहीं रहा है। इसलिए कस्बा नावां के खसरा नम्बर 219 रकबा 6.64 हैक्टर के बजाय 7.65 हैक्टर भूमि की खातेदारी अधिकार दर्ज करने व नक्शा किश्तवार में तरमीम करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से वक[illegible] श्री नाथूराम गुर्जर ने पेश किया एवं जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 [illegible] नावां ने जवाब पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

वकील प्रार्थीगण ने मौका कमिश्नर नियुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाने पर नि. भू. अ. नावां को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। मौका कमिश्नर नि. भू.अ. नावां ने हल्का पटवारी हल्का नावां के साथ उक्त विवादित भूमि का मौका मुआवना कर फर्द कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 10.9.11 को तैयार कर न्यायालय हाजा में दिनांक 13.9.11 को पेश की। तत्पश्चात उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई तथा दिनांक 16.05.12 को निर्णय पारित किया कि मौजा ग्राम नावां के खसरा नम्बर 219 रकबा 6.64 हैक्टर की जगह राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 219 रकबा 7.65 हैक्टर दर्ज (संशोधन) किया जाने का आदेश दिया गया तथा नक्शे में भी मौका अनुसार 7.64 हैक्टर भूमि की तरमीम के आदेश दिये गये। उक्त पारित निर्णय दिनांक 16.05.2012 की अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर में की गई तथा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर की अपील एल.आर. संख्या 16/2015/(2015/00092) जिला–नागौर बअनुवान राजस्थान राज्य बनाम सुरेश चन्द वगैरह में दिनांक 14.03.2022 को निर्णय पारित करते हुए इस पत्रावली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलार्थी तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौका रिपोर्ट की गहनता से जांच कर दोनो पक्षों की विधिवत सुनवाई कर नये सिरे से विधिसम्मन निर्णय पारित करें। माननीय न्यायालय की पालना में पत्रावली को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षकारान को तलब किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानाराम उपस्थित आये। प्रार्थी श्री रोहित कुमार पारीक ने मूलचंद लढ़ा पुत्र रामदेव लढ़ा जाति माहेश्वरी निवासी नावां की ओर से अधिवक्ता श्री रोहित कुमार पारीक ने प्रार्थना पत्र आदेश 32 सीपीसी व 151 सीपीसी पेश किया जिसपर अधिवक्ता प्रार्थीगण ने सहमति दी। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रोहित कुमार पारीक ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कस्बा नावां के गत खसरा नम्बर 477/1 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 222 रकबा 2.16 हैक्टर की भूमि के खातेदार केशरा पुत्र हनुमान, छगना पुत्र भाउडा, नाथू, तोला पि. लाल, पेमा पुत्र हीरा, चोथु पुत्र गोपी कुम्हार निवासीयान कस्बा नावां काबिज खातेदार रहे है तथा उक्त नवीन खसरा नम्बर 222 की सम्पूर्ण 2.16 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तब से अप्रार्थी संख्या 1 बतौर सदभावी क्रेता के खातेदार कृषक काबिज चली आ रही है। गत खसरा नम्बर 477/1 का रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा ही था और उनके नवीन खसरा नम्बर 222 का रकबा भी पूर्व रिकॉर्डेड रकबा के अनुसार सही है। अप्रार्थी संख्या 1 की कब्जा शुदा खातेदारी की भूमि का रकबा कमी बेशी नहीं हुआ है। नवीन खसरा नम्बर 222 रकबा 2.16 हैक्टर भूमि जो गत खसरा नम्बर 477/1 की भूमि है के बाबत में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व रकाब यथावत रखा जावें तथा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र की कार्यवाही ड्रोप फरमावे एवं खारिज फरमाया जावें। तत्पश्चात तहसीलदार नावां से खसरा नम्बर 219 की जमाबंदी, नक्शा व मौके की तुलनात्मक रिपोर्ट मंगवायी गई। तहसीलदार नावां ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि कस्बा नावां के खसरा नम्बर 219 का रकबा जमाबंदी अनुसार 6.64 हैक्टर है तथा खसरा नम्बर 222 का रकबा जमाबंदी अनुसार 2.16 हैक्टर है, मुताबिक नक्शा लट्ठा नाप चौक करने पर खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 14:02:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

नम्बर 219 का रकबा 6.64 हैक्टर के बजाय 6.74 हैक्टर पाया गया व खसरा नम्बर 222 का नक्शा लट्ठा अनुसार नाप चौक 2.16 हैक्टर के स्थान पर 2.14 हैक्टर पाया गया। मौके पर नाप चौक करने पर कस्बा नावां के खसरा नम्बर 219 का रकबा 7.65 हैक्टर पाया गया एवं खसरा नम्बर 222 की सीमाएं मौके पर कायम नहीं है। कस्बा नावां के खसरा नम्बर 219 व 222 का मौके का नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकन किया गया। राजस्व रेकार्ड (नक्शा लट्ठा) अनुसार ब्लू रेखा से खसरा नम्बर 222 व 219 को नजरी नक्शे में दर्शाया है। नजरी नक्शे में बिन्दु ए से बी तक रास्ता आने जाने हेतु मौके पर चालू है व दोनो तरफ पक्की दीवारें निर्मित है। नजरी नक्शे में बिन्दु ए, बी व सी से दर्शित (लाल स्याही डॉटेड लाईन) खसरा नम्बर 222 का भू-भाग मौके पर खसरा नम्बर 219 में समाहित है उक्त भू-भाग(क्षैत्रफल) को खसरा नम्बर 222 में से कम करने पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा लट्ठा प्रभावित होना है। पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस पेश की तथा अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार कस्बा नावां के गत खसरा नम्बर 477 रकबा 47 बीघा 5 बिस्वा प्रार्थीगण के पिता रामेश्वरलाल पुत्र छोगालाल नाई सा. देह खातेदार की खातेदारी में रही एवं गत खसरा नम्बर 477/1 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि केसरा पुत्र हनुमान, छगना पुत्र जाउडा, नाथू, तोला पि. लाला, पेमा पुत्र हीरा, चोथु पुत्र गोपी कुम्हार सा. देह खातेदार की खातेदारी में रही जो नकल जमाबंदी संवत 2033 से 2040 से साबित है। भू-प्रबंध कार्यवाही के पश्चात गत खसरा नम्बर 477 के नवीन खसरा नम्बर 219 का रकबा 6.64 हैक्टर कायम हुआ तथा गत खसरा नम्बर 477/1 के नवीन खसरा नम्बर 222 का रकबा 2.16 हैक्टर कायम हुआ। तहसीलदार नावां की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 219 का रकबा जमाबंदी अनुसार 6.64 हैक्टर है तथा खसरा नम्बर 222 का रकबा जमाबंदी अनुसार 2.16 हैक्टर है। मुताबिक नक्शा लट्ठा नाप चौक से खसरा नम्बर 219 का रकबा 6.64 हैक्टर के बजाय 6.74 हैक्टर है तथा खसरा नम्बर 222 का 2.16 हैक्टर के स्थान पर 2.14 हैक्टर है। खसरा नम्बर 219 का रकबा मौके पर सीमाएं अनुसार 7.65 हैक्टर है जबकि जमाबंदी में रकबा 6.64 हैक्टर है जो कि वर्तमान जमाबंदी व नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा नम्बर 219 का रकबा 6.64 हैक्टर ही है। मौके रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शे अनुसार भी मौके पर खसरा नम्बर 222 का भू-भाग जो लाल स्याही से अंकित है, खसरा नम्बर 219 में समाहित है। उक्त भू-भाग का खसरा नम्बर 222 में से कम करने पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा प्रभावित होता है। खसरा नम्बर 219 व 222 के गत खसरा नम्बर भी अलग अलग रहे तथा प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 477 का शेष रकबा किस नम्बर में गया है, नहीं बताया है। मिलान क्षैत्रफल से खसरा नम्बर 219 का रकबा 6.64 हैक्टर है तथा खसरा नम्बर 222 का रकबा 2.16 हैक्टर है। मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 219 के खोतदार प्रार्थीगण का केवल मात्र खसरा नम्बर 222 की भूमि के भू-भाग पर कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

काश्त होना प्रतीत होता है तथा केवल मात्र प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 222 के भू–भाग पर कब्जे काश्त के आधार पर खसरा नम्बर 219 का रकबा बढ़ाया जाकर जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में संशोधन करते हुए खसरा नम्बर 222 के भू–भाग की खातेदारी नहीं दी जा सकती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भू–प्रबंध के इन्द्राज में संशोधन करने हेतु पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत भू–प्रबंध के इन्द्राज में संशोधन करने अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 30.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:56 IST
Reason: SelfAttested